संख्या- 14/2017/ 696/26-2-2017-100(69)/2002

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-2 लखनऊ दिनांकः 08 अगस्त, 2017

विषयः- गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत चतुर्थ त्रैमासिक किस्त के 2405855 अवशेष लाभार्थियों को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-80 के आयोजनागत पक्ष (केन्द्रांश) से वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि का भुगतान किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या- 151/स0क0/एन0एस0ए0पी0/वृ0पें0यो0/2017-18, दिनांक 12.05.2017 के संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2007/बी-1-348 /दस-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुदान सं0-80 के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 1151.00 करोड़ के सापेक्ष प्रथम 05 माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के व्यय के लिए पारित लेखानुदान हेतु रू0 479.5830 करोड़ (रू0 चार अरब उन्यासी करोड़ अटठावन लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-05/2017/433/26-2-2017-100(69)/2002, दिनांक 01.05.2017 द्वारा निर्गत करके व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखी गई है।

2- उक्त शासनादेश के माध्यम से स्वीकृति धनराशि में से गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत चतुर्थ त्रैमासिक किस्त के 2405855 अवशेष लाभार्थियों हेतु रू0 295.02234 करोड़ (रू0 दो अरब पन्चानबे करोड़ दो लाख तेईस हजार चार सौ मात्र) की धनराशि का भुगतान किये जाने की निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय निम्न सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1- चतुर्थ त्रैमासिक किस्त के लाभार्थियों को अवशेष धनराशि का भुगतान एन0आई0सी0 द्वारा प्राप्त विवरण के अनुसार किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से केन्द्रांश प्राप्त की प्रत्याशा में उक्त वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा रही है। अतः केन्द्रांश प्राप्त होने पर निदेशक, समाज कल्याण द्वारा धनराशि का समायोजन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अपेक्षित केन्द्रांश भारत सरकार से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-3/2007/बी-1-348/10-2017-231/2017, दिनांक 20.03.2017 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

6- प्रश्नगत योजनान्तर्गत स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी, जिसके लिए निदेशक स्वयं उत्तरदायी होगें।

7- निदेशक, समाज कल्याण यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत आवंटित जनपदवार परिव्यय के अन्तर्गत समायोजित रखा जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व वर्षो की स्वीकृति धनराशि अप्रयुक्त उपलब्ध न हो। धनराशि का व्यय/उपयोग योजना के लिये निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि में से निहित प्रशासनिक धनराशि का व्यय संगत नियमावली/शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार नियमानुसार व्यय निदेशक, समाज कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति पृथक से शासन द्वारा निर्गत नहीं की जायगी।

2- उक्त वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिये आवश्यक धन व्यवस्था मूल आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

3- उपर्युक्त योजना/मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण -05-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-0501-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- **यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1 **के शासनादेश संख्या-**3/ 2007/**बी-**1-348/10-2017-231/2017, **दिनांक** 20.03.2017 **में निहित व्यवस्था के अधीन निर्गत किये जा रहे है।**

भवदीय,

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

पृ0 संख्या- 14**/**2017/696 (1)/26-2-2017 **तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. **एन0एस0ए0पी0 डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।**
2. **महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
3. **महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।**
4. **निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ ।**
5. **कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
6. **वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-**3/**वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-**1/2
7. **राज्य योजना आयोग अनुभाग-**1/2 **एवं नियोजन अनुभाग-**3
8. **वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।**
9. **वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0।**
10. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,

कामता प्रसाद
अनु सचिव।

h tp://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**